

1/14/2016

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 26,22,668.00 रुपये।

स्टाम्प : 1,83,700.00 रुपये।

CHALLAN No
M/1735/24-X/2010

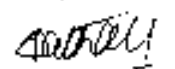
मैं कि कमल सिंह पुत्र श्री हरवल निवासी ग्राम कवैडा तारसाबाद परगना दादरी
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर (फरीक अवल, विक्रेता)।

एवम

मैंससे उपर्युक्त बद्धा आईटेक इन्वेलपर्स प्रा0 लि0 उ3 कम्युनिटी सेंटर न्यू फेडस
कालौनी नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादेव पाठक उ3, कम्युनिटी
सेंटर न्यू फेडस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हरताक्षरी (फरीक दोयम/क्रेता)।

For Uppal Chedha Hi Tech De., Uppers Pvt. Ltd

अधिकृत नं० २२२


Signature



बैनामा 2622668),
निबन्धन शुल्क -10,000/-रूपये उजरत 20/-रूपये
योग-10,020/-रूपये शब्द लगभग 600

श्री/श्रीमती अमल सिंह पेशा रेशी.

पुत्र/पत्नी अमल

निवासी- ग्राम अचंडावा राणा का प.वा. कपूर

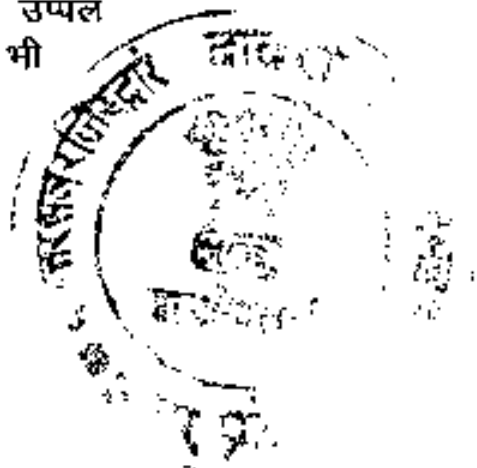
ने कार्यालय सबरजिस्टार दादरी जिला गौडुद्धनगर
मे आज दिनांक 24-12-2010 को समय 4 व 5 के
मध्य प्रस्तुत किया है।

अमल सिंह

सबरजिस्टार दादरी
24-12-2010

इस लेखपत्र का सम्पादन एवं इसमें लिखित जरे
बदल मु0 2622668 प्रलेखानुसार पाकर उक्त
श्री अमल सिंह पुत्र

प्रथमपक्ष ने स्वीकार किया व तकमील से श्री दीपक
पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक निवासी-33 कम्युनिटी
सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली द्वारा मैसर्स उप्पल
वड्डा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वितीय पक्ष ने भी
स्वीकार किया



विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम कर्बेड़ा बरसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गोलमर्ह नगर (उ०प्र०), कृषि भूमि खाला नं० 607 के खसरा नं० 88 रकबा 0. 9140 हेक्टे० का 1/5 भाग यानि 0.1828 हे० भाग का प्रथम पक्ष मालिक है। अनुसार खतौनी 1409-1414 फसली जिरका फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी संक्रमणीय भूमिधर कागजाल दर्ज है. का बैनामा हाजा में विक्रय किया जा रहा है।

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 8000000/- रुपये प्रति हेक्टेयर है। लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से 1.43.47.200/- प्रति हेक्टेयर की दर से अंकन 26,22,868/- रुपये (छब्बीस लाख बार्हस हजार छ सौ अड़सठ रुपये मात्र) में तय है और सरकारी स्टाम्प क्रय मूल्य पर ही अदा किया गया है।

(3) विक्रेता अनुरोधित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आशय का अपना श्रीमान् तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्कान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कहीं अन्य जगह

अमर लाल शर्मा

For Updesh Dikshas In Tech Development Pvt. Ltd

Authorized Signatory

जिनकी पहचान श्री अभिषेक पेशा आप
 पुत्र श्री राज कुमार
 निवासी- सुपुर्वा अ-प-ड-कारनाकाद ग.प.वा.प.
 व श्री राज काका अ-प-ड-कारनाकाद ग.प.वा.प.
 निवासी- सुपुर्वा

ने की

सरजिस्टार दादरी
 24-12-2010

अभिषेक



अभिषेक

अभिषेक
 रा.प.वा.प. अ-प-ड-कारनाकाद ग.प.वा.प.

अभिषेक

(3)

आइ. ररहन, बंध, हिंदी, महाप्राधम्य व अमानात सरकारों व अर्द्धसरकारी व निजी रूप आदि में प्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिल्ली या अन्य किसी प्रकार का व्युत्पन्न है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद-प्रद मामला किसी भी न्यायालय व सरकारों व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लभित है। और न ही किसी निष्पीत आदेश का क्रियाचन भी लभित है।

(6) विक्रीत भित्तिकयत उक्त के विक्रय में कोई दोष व त्रुटी नहीं है हर प्रकार के वाद विवाद से भुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखित भूमि के संबंध में मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के एक में कोई भौतिक कराव, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपवीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न नोटरी द्वारा सात्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय, अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रधानी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फौक अवल व उनके धारिमान होंगे।

(7) मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त खाता नं० 607 के खासरा नं० 86 रकबा 0.9140 हैक्टैर 0.1/5 भाग यानि 0.1828 है० स्थित ग्राम कदौडा बारासाबाद परगना दादरी तहसील व जिला मौलानाबुद्ध नगर के अपने हिस्से पूर्ण भाग को बेचने का स्वतंत्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। मुझ विक्रेता को वारंते सरकारों काश्त एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत प्रेता से मिल रही है। अतः मुझ विक्रेता ने अपनी धुइशी से बिना किसी दबाव व समझाव के, बरजाभदी, मुह्र भुद्धि व रक्स्थ इन्दिशों की दशा में अपने पारिधार्तिक साहजते से भय समस्त अधिकार मालिकाना, काबेजाना, दाखिलती धारिजी, कायत मराई, हर किस्म धन्या गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को निष्पीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आत्म की तारीख में विक्रय धनराशी अंकन 26,22,668 / रूपये (छब्बीस लाख बार्हस हजार छ सौ अठ्ठाठ रूपये मात्र) जिसके आधे अकन 13,11,334 / (तेरस लाख त्पारस हजार तीन सौ धीरा रूपये मात्र) होते है के

अमानत दस्तावेज

For Upool Chaudhary Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory





(4)

एवज मे बहाभ फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त गैसर्स उपलब्ध बढ्ढा हाईटेक इवलपर्स प्रा0 लि0 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली देन नंबर AACU7200M द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33. कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी को बंध कर दिया है यानि कोई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नहीं रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वारत्तिक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः गालिक कानिबल दाखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैशियत मालकाना प्रयोग में लावे।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि की बाबत समस्त कामजात मे बजारिये बैनामा दाखिल खासिज मालकागजात मे कराकर भेदा का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वयं दर्ज करावा सकते है तथा आवश्यक प्रयत्नों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुझ फरीक अवल से करा सकते है. मुझ फरीक अवल को कोई एतराज नहीं होगा।

(10) अतः अब विक्रय परचात विक्रीत भूमि की भित्तिकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संवद बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अवल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पडा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी कानूनी जुर्मा आदि से विषय भूमि कुल अथवा कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अवल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मग उर्ज स्वयं प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता

अमर न्यायालय

For Uppeal Chaudhary H. Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory



{ 5 }

परिधान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है जिस पर फरीक अचल/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(12) विक्रय पत्र का सम्पूर्ण खर्चा केता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विषय पत्र सूब सूब समझ कर, चुनकर पढ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आये।

(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 0.1828 हैकटेयर, खाता नं० 507 के अक्षरा नं० 86 स्थित ग्राम कबैसा बारासाबाद परगना दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर के जिनमे निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:

अमल नं० 118172

For Upad Chaudhri Hi Tech Developers Pvt Ltd.

Signature

Signature



—

(6)

(15) बैंक ऐक्सिस बैंक लि० गाजियाबाद शाखा गाजियाबाद का चैक नंबर 263387 अंकन 26,22,668/- (सोलह लाख बाईस हजार 8 सौ अठसठ रुपये मात्र) दिनांकित 24.12.10 फरीक अव्वल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

अमर सिंह



For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd

Authorized Signatory

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

गवाह नं० 1

रामेश डाल राजकुमार

नि० अवैध आरम्भक जैन्स नगर



गवाह नं० 2

राजू नगर डाल राजकुमार

नि० अवैध आरम्भक जैन्स नगर



तहरीरी दिनांक: 24-12-2010 मसौदा रोजेन्द सिंह एडवोकेट गाजियाबाद



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

RS.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AA 153020

Stamp duty paid in cash certificate in favour of-M/S UPAL CHADHA
HI-TECH DEVELOPERS PVT.LTD,33,COMMUNITY CENTRE,NEW
FRIENDS COLONY , NEW DELHI

In pursuance of the order of the collector
No...memo....dated,24.12.10 passed under
Section 10-A of the stamp act.It is certified that an
amount of Rs.1,83,790-00(Inwords Rs. One lacs eighty three thousand.
seven hundred only)

has been paid in cash as stamp duty in respect
of this instrument in the State bank of India

Treasury/Sub treasury ...NDIDA

By Chellan No..N...173534... dated.24.12.10

A copy of which is annexed herewith.

24/12

64125

Dated 24/12

Senior Treasury Officer

Gautam Boudh Nagar

नं. 848
क्रिया गया।

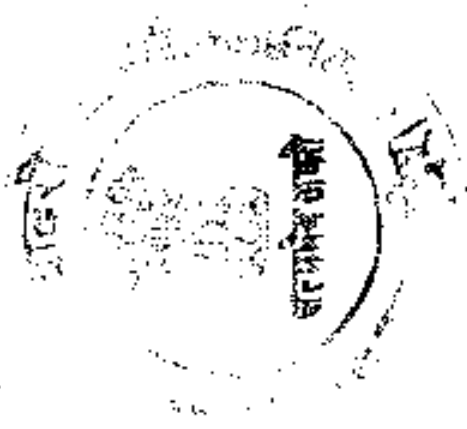
23 DEC 2010

श्री कोषागार/सौतम नुह नगर के
संरक्षक

Ms. Capital Creation Hitech Developers
Plot LA. No. 108

आवेदन संख्या 24/12/10 का फाइल नं. 307/
आति पुस्तक संख्या 37 खण्ड संख्या 14446
के पुस्तक संख्या 370 पर क्रम संख्या
पर संविधान किया गया।

उप निष्पत्ति
समिति



ग्राम स्वतंत्रता

उत्तराखण्ड स्वतंत्रता

ग्राम स्वतंत्रता संख्या: 1020116093

ग्राम स्वतंत्रता नाम: कपौरा मारवाहा

परगना: बांदरी

तहसील: बांदरी

जनसंख्या: गौतमपुरा नगर

कस्बे की संख्या: 1409-1414 29695

भाग: I

कस्बा स्वतंत्रता का संख्या	कस्बा का नाम	भूमि का विवरण संख्या का नाम	विस्तार का नाम	कस्बा का नाम परगना का नाम कस्बा का नाम	कस्बा के कस्बा का नाम कस्बा का नाम	कस्बा के कस्बा का नाम कस्बा का नाम	कस्बा के कस्बा का नाम कस्बा का नाम	कस्बा के कस्बा का नाम कस्बा का नाम	कस्बा के कस्बा का नाम कस्बा का नाम	कस्बा के कस्बा का नाम कस्बा का नाम
1	2	3	4	5	6	7-12	13			
श्रेणी: 1-क	भूमि जो संक्रमणीय	भूमि जो संक्रमणीय	भूमि जो संक्रमणीय	भूमि जो संक्रमणीय	भूमि जो संक्रमणीय	भूमि जो संक्रमणीय	भूमि जो संक्रमणीय	भूमि जो संक्रमणीय	भूमि जो संक्रमणीय	भूमि जो संक्रमणीय
00607	हरमरा	रामराम	वि. नाम	पु. 1402	86	0.9140	1412 फ. आदेशानुसार क्षीपण रो. वि. द्वारा प. क. 11 क/ 15.7.04 को आदेश द्वारा क्षीपण से 607 से क्षीपण हरमरा के स्थान पर धर्मनदी सि. तपसी कुपूर, कस्बा वि. सुबे सिंह पुराण व श्रीपती पुराण से। हरमरा नामवाली का नाम बांदरी चरितान्त दर्ज हो: इ. से. 15.7.04			
				कुल पट्टे: 1	कुल क्षेत्र: 0.9140	40.50				

गोपनीय

सेवा में,

शास्त्रा प्रबन्धक

उच्च शिक्षण विभाग, अमृतसर
द्वारा

170

विषय : अनापत्ती प्राण पत्र (एच ओ सी) के सम्बन्ध में

प्रतिपद,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका
प्लॉट संख्या ६०८ छासा नम्बर २६६६ - १५५ स्थित ग्राम नरौडा -
गिरमोहन परगना दारुवा ब तहसील दारुवा जिला जौनपुर
की भूमि को उपरोक्त भूमि में उपलब्ध चूका हाईटेक डेवेलपर्स प्रां वि
को बेचना है। इस कारण बम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्राण पत्र (एच ओ सी) की
आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।
अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्राण पत्र (एच ओ सी)
प्रदान करने की कृपा करें।

प्रत्यवाद।

प्रार्थी

भूमि 570 हरबल

जि. एच. ए. अनापत्ती प्राण पत्र





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 442352

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक स्थान गालियाबाद में श्री अनिल

पुत्र/पति हजार

नियुक्ती ग्राम परगना तहसील

व जिला

ह

प्रथम पक्ष

ह

एवं

है १० उपलब्ध बट्टा हाईटैक डबलपर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय ३३ कम्प्यूनिटी
सेक्टर न्यू फ्रेड्स कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा पुत्र

द्वितीय पक्ष

विहित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम परगना व तहसील
जिला में स्थित ग्रामि खाता सं० खसरा सं०

कुल रकबा

हैक्टयर (अपने सम्पूर्ण गांव) का

राकबगीय ग्रामिण गालिक, काबिल है। राजपत्रों में उक्त ग्राम पर प्रथम पक्ष का नाम
दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त ग्राम में किसी प्रकार का हकदार व हिस्सेदार नहीं
है। उक्त ग्राम पर अधिभाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या
कोई केस नहीं चल रहा है।

अनिल कुमार

ह

ह

ह

ह

प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की गारीख तक हर प्रकार के कर्ज सरकारी व गैर सरकारी आदि से पाक व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार दादरी कार्यालय में बही सं० 1 के पुरतक सं० पृष्ठ पर क्रम सं० पर दर्ज है।

प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरूप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्ता कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिस्से पर 400 रुपए प्रति वर्गगज के हिसाब से रु० /- द्वारा बैंक नं. दिनांक बैंक द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुगोष लाभ या पुनर्वास हेतु आवंटित प्लॉट की एज में प्राप्ता होने वाली धनराशि रु. 400 प्रति गज के हिसाब से निर्धारित धनराशि दोनों पक्षों को मान्य है।
2. यह कि प्रथम पक्ष मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।
3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नहीं रहा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।
4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के भूखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नहीं होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष क होंगे। इन अधिकारों के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु. द्वारा बैंक सं० दिनांक बैंक से प्राप्त कर लिये है।

5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरूप उक्त भूमि पर लगी फसल, नलकूप या किसी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।

अपने अपने

अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भविष्य में काम आवे ।

कमल चौधरी

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह

- 1.
- 2.